



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269120
CG-DL-E-05012026-269120

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSH 15, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 43(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिदिष्ट 60 किमी से 76.646 किमी के NH53 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रवंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH53 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसीलदार, महाकालपारा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH53 के कि.मी 60 से कि.मी 76.646 तक	उड़ीसा	केन्द्रपाडा	महाकालपडा	1 नारायण पुर 2 टिकरापन्का

[फा. सं. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Mahakalapara]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 43(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 60 to Km. 76.646 of the NH53 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA

SCHEDELE

Land acquisition on National Highway No. NH53 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Tahsildar, Mahakalapara	NH53 KM 60 TO KM 76.646	ODISHA	KENDRAPARA	Mahakalpara	1 Narayan Pur 2 Tikarapanka

[F. No. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Mahakalapara]

SHAIKH AMINKHAN, Director